

उत्त प्रदेश में 2019-2020 का आय का अनुमान 1.11 लाख करोड़ रुपये का है।

2020-21 का आय का अनुमान 1.15 लाख करोड़ रुपये का है।

2021-22 का आय का अनुमान 1.20 लाख करोड़ रुपये का है।

2022-23 का आय का अनुमान 1.25 लाख करोड़ रुपये का है।

2023-24 का आय का अनुमान 1.30 लाख करोड़ रुपये का है।

2024-25 का आय का अनुमान 1.35 लाख करोड़ रुपये का है।

2025-26 का आय का अनुमान 1.40 लाख करोड़ रुपये का है।

2026-27 का आय का अनुमान 1.45 लाख करोड़ रुपये का है।

2027-28 का आय का अनुमान 1.50 लाख करोड़ रुपये का है।

2028-29 का आय का अनुमान 1.55 लाख करोड़ रुपये का है।

2029-30 का आय का अनुमान 1.60 लाख करोड़ रुपये का है।

Handwritten signature and date.

पृष्ठ संख्या: 10/10/2023
दिनांक: 10-10-2023

Handwritten signature and text.

जाना आवश्यक होगा। नीचे निम्नलिखित समिति द्वारा यदि तब 2020-21 हेतु नीचे का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो नीचे की नीतिगत धरे लागू होंगी।

- ✓ संस्था का (5000) प्रविधिक शिक्षा समितिवा तब उप समितियों संस्थाओं को सम्बद्ध विगत जाना विनिर्माणधी-2000 की शर्त का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों में रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समग्र-समग्र पर निर्गत शासनप्रदेश के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एआरडीसीओ/पीसीओआर से जगती तब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनये गये विधि/नियमों/अभियोगों/शासनप्रदेशों/निर्देशों एवं निर्देशन-प्रविधिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परीक्षा परिषद, 2000 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ शिक्षाया इन कार्यवाही आवश्यक की संस्थाएं यदि पीसीआई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तब इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिया जप से निगी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंध बाधर किया जाता है तथा बाधर बाध के संस्था में या अत्याचार द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपुष्टि संकठी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपुष्टि उत्तरदायित्व संस्था को करनी होगी।
- ✓ शिक्षाया इन कार्यवाही आवश्यक संस्थालय करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकृत तब के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यविधिगत प्राप्त होने के पूर्व पीसीओआर से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद आवेदन को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की कार्यविधिगत के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीटों प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नीतिगत आवश्यक निर्यात का अनुपालन करना आवश्यक होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रविधिक, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, बाध्य किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्त शुल्क आदि का निरक्षण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविक्षण हेतु उपयुक्त सामान्य उपलब्ध करने के साथ रेगिग रोकने के बाध्य में समस्त आवश्यक उपलब्ध सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/समाप्त पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध करणें एवं अनिवार्य, भूमि-सदन, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किया अन्य आवश्यक के समस्त में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपलब्ध का प्रकृत किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समस्त किसे जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्त का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

(500 आरओसी विधि)
सविधि

पुनः- प्रविधि/परिषद संस्था/2020 / 1972-3141

तद् दिनांक: 15-09-2020

प्रविधिक-प्रधानाचार्य/निदेशक, सना इस्टीमेट ऑफ फार्मसी, गोंदरी जगेंद्रमज स्टेशन रोड, प्रतापगढ़।

(500 आरओसी विधि)
सविधि

संख्या:- राष्ट्रीय/परीषद/संस्कृत/2021/3537

आचार्य का पत्र:-

शिक्षण संस्थानों परीक्षा परिषद, एवं शिक्षण संस्थानों की कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है। 22.08.2021 को राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिक्षण परिषद, देहरादून में आयोजित बैठक में संस्कृत/उत्तराखण्ड शिक्षण परिषद द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिक्षण परिषद को अनुमोदन प्राप्त किया जाने के संबंध में प्रशिक्षण शिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड से संस्कृत/उत्तराखण्ड शिक्षण परिषद को अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है। 22.08.2021 को राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिक्षण परिषद की बैठक में प्रशिक्षण शिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड से संस्कृत/उत्तराखण्ड शिक्षण परिषद को अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है। 22.08.2021 को संस्कृत/उत्तराखण्ड शिक्षण परिषद द्वारा संस्कृत शिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड को अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है। 22.08.2021 को संस्कृत/उत्तराखण्ड शिक्षण परिषद को अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

संस्कृत शिक्षण परिषद की बैठक में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है। 22.08.2021 को राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड से संस्कृत/उत्तराखण्ड शिक्षण परिषद को अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है। 22.08.2021 को संस्कृत/उत्तराखण्ड शिक्षण परिषद को अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

संस्कृत शिक्षण परिषद का पता : 4112-KUMA INSTITUTE OF PHARMACY, GOHRI JAGESHWARGARH STATION ROAD, PRATAPOGARH-240002

उपरोक्त सूचना के संबंध में सूचना दी जाती है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिक्षण परिषद
देहरादून, उत्तराखण्ड

1 DIPLOMA IN PHARMACY

60

60

संख्याएं हैं।

- ✓ संस्था ए0-आई0सी0आई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण शिक्षण परिषद एक्ट 1962 तथा प्रशिक्षण शिक्षण परिषद विनियमवली 1992, संसदीय विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय डी0डी0 परोजनाओं हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी परोजनाओं हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय परोजनाओं (दो वर्षीय फार्मसी परोजनाओं के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के संबंध में समय-समय पर खातों द्वारा निर्गत किये जाने वाले बालबालेय प्र-पैसी होये, और तदनुसार कार्यावाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

✓ संस्था को (उपरोक्त प्रशिक्षण शिक्षण परिषद तथा उप संबंधित) संस्थाओं को संस्कृत शिक्षण परिषद (अनुमोदन) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अदायित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।

✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत बालबालेय के अनुसार निरीक्षण एवं समझौता शुल्क जमा करना होगा।

✓ संस्था को ए0-आई0सी0आई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रवेश खातों द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/बालबालेय/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रशिक्षण शिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तराखण्ड तथा प्रशिक्षण शिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

✓ डिप्लोमा इन फार्मसी परोजनाओं की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और शिक्षण परिषद से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रशिक्षण शिक्षण परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रशिक्षण शिक्षण परिषद एवं प्रशिक्षण शिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

✓ डिप्लोमा इन फार्मसी परोजनाओं संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्टिसिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्टिसिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।

संस्कृत शिक्षण परिषद का पता : 4112-KUMA INSTITUTE OF PHARMACY, GOHRI JAGESHWARGARH STATION ROAD, PRATAPOGARH-240002

- ✓ **बस या परिवहन में से बिना बिल के खरीदना:** भारतीय सरकार की बसों को भी नियंत्रित नहीं है, बस प्रदाता बसों को नियंत्रित नहीं करता है। इसलिए, प्रदाता बसों को खरीदने में अधिकार नहीं रखता है। बसों को खरीदने में अधिकार नहीं रखता है।
- ✓ **बस के खरीदने में अधिकार:** बसों को खरीदने में अधिकार नहीं रखता है। बसों को खरीदने में अधिकार नहीं रखता है।
- ✓ **बसों के खरीदने में अधिकार:** बसों को खरीदने में अधिकार नहीं रखता है। बसों को खरीदने में अधिकार नहीं रखता है।

बसों के खरीदने में अधिकार नहीं रखता है। बसों को खरीदने में अधिकार नहीं रखता है।

(प्रति पूरा
महीना)

महीना

दिनांक
09/09/2021

पता- भारतीय राजधानी दिल्ली-110002

महाराष्ट्र

संभवित रूप से राजधानी दिल्ली-110002

(प्रति पूरा
महीना)

महीना

